

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ 29, सोमवार, शाके 1937-जुलाई 20, 2015 Asadha 29, Monday, Saka 1937-July 20, 2015	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 20, 2015

जी.एस.आर. 54:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 से संलग्न अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-I" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-I" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-I" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान

अभिव्यक्ति "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-II" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सहायक अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

- (v) कम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-II" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सहायक अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 1(4) डीओपी/ए-2/93]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

ओ. पी. गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 20, 2015

G.S.R. 54.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Rajasthan Prosecution Service (amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Amendment of Schedule.— In Schedule appended to the Rajasthan Prosecution Service Rules 1978,—

(i) in column number 4 against serial number 3, for the existing expression "Assistant Public Prosecutor Grade-I" the expression "Prosecution Officer" shall be substituted.

(ii) in column number 6 against serial number 3, for the existing expression "Assistant Public Prosecutor Grade-I" the expression "Prosecution Officer" shall be substituted.

- (iii) in column number 2 against serial number 4, for the existing expression "Assistant Public Prosecutor Grade-I" the expression "Prosecution Officer" shall be substituted.
- (iv) In column number 4 against serial number 4 for the existing expression "Assistant Public Prosecutor Grade-II" the expression "Assistant Prosecution Officer" shall be substituted.
- (v) in column number 6 against serial number 4, for the existing expression "Assistant Public Prosecutor Grade-II" the expression "Assistant Prosecution Officer" shall be substituted.

[No. F. 1(4) DOP/ A-2/93]

By Order and in the name of the Governor,

ओ.पी. गुप्ता,

Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.